A-7

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 136/2022

जडाई देवी पत्नि कुरडा राम, जाति जाट, निवासी ओजटू, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं। —— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं। —— रेस्पोडेन्ट

——

प्रथम अपील अ0धा0 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं, मुकदमा उनवानी सरकार बनाम जडाई देवी, अ0धा0 91, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, मु0न0 08/2022, निर्णय दिनांक 30.06.2022

——

उपस्थितः—

1. श्री अशोक लाम्बा, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 22.09.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 30.06.2022 के विरूद्व मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं प्रा0प0 स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा जिला झुंझुनूं ने अपीलान्ट को आराजी हाल खसरा नं0 94 रकबा 4.07 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड ओजटू तहत तहसील चिडावा मे से 0.03 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिनांक 30.06.2022 को पारित किया। इस कारण अपीलान्ट की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट के विरूद्व दफा 91 राजस्थान भू–रजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नही है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब को बिना डिस्कस किये निर्णय पारित किया है। निर्णय जैर बहस अपूर्ण व अस्पष्ट [illegible] अपीलान्ट के तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौडाई पटवारी हल्का की रिपोर्ट [illegible] मे दर्ज नही है। पटवरी हल्का द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय रिपोर्ट साबित नही की गई है। इस प्र[illegible] अदालत मातहत ने एकपक्षीय पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानने मे कानूनी [illegible] की है। अपीलान्ट के हक मे [illegible] विभाग के द्वारा सनद 20.01.2001 से विघुत कनेक्शन स्थापित है। अदालत मातहत के स[illegible] अपीलान्ट ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 15:41:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

उपरोक्त बिन्दू को रखा था व इजाजतन कब्जे को एक सारवान बिन्दू उठाया था। कानून से जब कोई सारवान बिन्दू उठाया जाता है तो उस सूरत मे समरी प्रोसेंडिंग के मार्फत कार्यवाही नही की जा सकती। अदालत मातहत ने उपरोक्त कानूनी स्थिति को नजरअंदाज किया है। अदालत मातहत ने राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही करने मे कानूनी गलती की है। जमीन जैर बहस वास्तविक रूप से जोहड की नही है और ना ही जोहड के काम मे आई है। अदालत मातहत ने भौतिक स्थिति को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का पुराना कब्जा होना एक स्वीकृत तथ्य है। इस बाबत पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे उल्लेख किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2022 को अपास्त किया जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट के विरूद्व दफा 91 राजस्थान भू–रजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नही है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब को बिना डिस्कस किये निर्णय पारित किया है। निर्णय जैर बहस अपूर्ण व अस्पष्ट है। अपीलान्ट के तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौडाई पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे व निर्णय जैर बहस मे दर्ज नही है। पटवरी हल्का द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय रिपोर्ट साबित नही की गई है। इस प्रकार अदालत मातहत ने एकपक्षीय पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानने मे कानूनी गलती की है। अपीलान्ट के हक मे विघुत विभाग के द्वारा सनद 20.01.2001 से विघुत कनेक्शन स्थापित है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट ने उपरोक्त बिन्दू को रखा था व इजाजतन कब्जे को एक सारवान बिन्दू उठाया था। कानून से जब कोई सारवान बिन्दू उठाया जाता है तो उस सूरत मे समरी प्रोसेंडिंग के मार्फत कार्यवाही नही की जा सकती। अदालत मातहत ने उपरोक्त कानूनी स्थिति को नजरअंदाज किया है। अदालत मातहत ने राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही करने मे कानूनी गलती की है। जमीन जैर बहस वास्तविक रूप से जोहड की नही है और ना ही जोहड के काम मे आई है। अदालत मातहत ने भौतिक स्थिति को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का पुराना कब्जा होना एक स्वीकृत तथ्य है। इस बाबत पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे उल्लेख किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2022 को अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 15:41:29 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक ... कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम आंजटू स्थित ...कारी भूमि ख0न0 94 रकबा 4.07 हैक्टर किस्म गैर जोहड मे से 0.03 है0 भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि की किस्म जैर मुमकीन जोहड है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। धारा 91 समरी प्रोसिंडिंग है। अदालत

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

मातहत मे अपीलान्ट की जबाबदेही हुई है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट ने ग्राम ओजटू स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 94 कुल रकबा 4.07 हैक्टर किस्म गै0मु0 जोहड में से 0.03 है0 भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि गै0मु0 जोहड की भूमि है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट को गै0मु0 जोहड की भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2022 यथावत रखा किया जाता है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.15 15:41:29 IST
Reason: SelfAttested